अध्याय - 1

भूमि और विकास कार्यालय के कार्य

भूमि और विकास कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैंः-

1. दिल्ली में राजधानी के निर्माण हेतु वर्ष 1911 में अधिग्रहित सभी नजूल भूमि और पुनर्वास कॉलोनियों की भूमि के प्रलेखों का रखरखाव करना।
2. विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों और विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थाओं को भारत सरकार के निर्देशों के अधीन भूमि का आवंटन।
3. भारत सरकार के निर्देशों के अधीन आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि की नीलामी।
4. भूमि और विकास अधिकारी तथा क्षेत्रीय निबटान आयुक्त द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में सीधे तौर पर प्रदत्त विभिन्न पट्टों का एतद पट्टे की शर्तों के अनुसार तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार प्रशासन एवं प्रबंधन।
5. भूमि के संबंध में इसके नियंत्रण के अधीन सभी सरकारी बकायों की वसूली।
6. सरकारी भूमि से अतिक्रमणकारियों की बेदखली और नुकसान की उनसे वसूलीः इसके नियंत्रण के अधीन क्षेत्र के संबंध में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहने वालों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अनुसार प्रशासन।
7. भूमि के संबंध में इसके नियंत्रण के अधीन सभी प्राप्तियों और पुनर्भुगतान के लेखा का रखरखाव।
8. विशेषीकृत प्रकार के पट्टों के संबंध में फ्री होल्ड में परिवर्तन प्रदान करना।
9. उपरोक्त (i) से (vii) से जुड़े अथवा इनसे उठने वाले सभी मामले।